

हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
-------------------------------------	---

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/
कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में
व्यस्त होने के कारण दिनांक 28-2-18
के राजस्व मुकदमों में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 27-4-18
नियत की जाती है।

12/4
पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपरि
रिपोर्ट लक्ष्मीलाल दार अग्राल पत्रावली
लोक अदालत केम्य कोर्ट सार सीप 12.6.18
को पेश हो।

12/8
पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपरि
रिपोर्ट लक्ष्मीलाल दार अग्राल पत्रावली
लोक अदालत केम्य कोर्ट डी डायच 15.6.18
को पेश हो।

15/8
पत्रावली आज न्याय आपके द्वार लोक
अदालत केम्य कोर्ट अटलसेवा के डी डायच
पेश हुई। उभय पक्ष उपरि रिपोर्ट लक्ष्मीलाल
दर रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली
की गयी। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है
की बुयी गण सं। लगभग 8 की ग्राम
सारसी प स्थित खालदार भूमि खसरा
सं 3850 एकड़ 0.90 हेक्टर एवं 3851
एकड़ 0.92 हेक्टर में जाने जाने हुए
खसरा सं 2372, 2373 के परिचय और लोक
खसरा सं 3852, 3854 तथा खसरा सं 3855
व 3852 की बीच में से होकर खसरा
3854, 3853 की पूर्वी में से होकर
आपेदक की खालदार भूमि खसरा सं 3852
खसरा सं 3853 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3854
खसरा सं 3855 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3856
खसरा सं 3857 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3858
खसरा सं 3859 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3860
खसरा सं 3861 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3862
खसरा सं 3863 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3864
खसरा सं 3865 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3866
खसरा सं 3867 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3868
खसरा सं 3869 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3870
खसरा सं 3871 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3872
खसरा सं 3873 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3874
खसरा सं 3875 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3876
खसरा सं 3877 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3878
खसरा सं 3879 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3880
खसरा सं 3881 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3882
खसरा सं 3883 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3884
खसरा सं 3885 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3886
खसरा सं 3887 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3888
खसरा सं 3889 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3890
खसरा सं 3891 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3892
खसरा सं 3893 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3894
खसरा सं 3895 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3896
खसरा सं 3897 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3898
खसरा सं 3899 की पूर्वी में से होकर खसरा सं 3900

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>अहका ताम</p>
	<p>मकान के सामने 1 1/2 मी चौड़ा रास्ता पश्चिमी मेड़ के सहारे पूरा लम्बाई में एवं खसरा सं० 3852 की पश्चिमी मेड़ के सहारे 1 1/2 मी चौड़ा रास्ता अर्थात् कुल 200 वर्ग मी भूमि रास्ता हेतु दिये जाने का कत प्राप्ति एवं अप्रार्थिगण उपप सहमत है। अप्रार्थिगणों पर द्वारा खसरा सं० 238 पश्चिमी मेड़ की लम्बाई कुने उनके मकान की सुरक्षित रखने हेतु मसखिब कथन दिया अन्य कोई लिखित व मसखिब जबाब पेश नहीं किया। अप्रार्थिगण उपप द्वारा पुनः मसखिब पेश कर स्वीकार किया गया था परन्तु आज उनके द्वारा प्रभावित भूमि का मुआवजा एवं पुनः लारबंदी कार्य का उनकी भूमि की प्रभावित उत्तरी पूर्वी कोणी मेड़ पर प्राप्तिगण द्वारा वहन करने के आधार पर सहमति दी।</p> <p>प्रकरण में संलग्न प्रस्तावण राजस्व रिपोर्ट रिपोर्ट लारबंदीदार का अवलोकन कर मानन करने पर पाया कि प्राप्तिगण की जाम साक्ष्य सिद्ध खालदारी भूमि खसरा सं० 3850, 3851 एवं अन्य जमीन हेतु कोई रिकॉर्ड रास्ता नहीं है एवं लारबंदीदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी रिकॉर्ड पत्रों के पर उपलब्ध नहीं है। अतः सिवाय खसरा खसरा सं० 237, 238 में नवी में डेटेड लारबंदी प्रदर्शित कदीमी रास्ता को रास्ता मानते हुए। खसरा सं० 238 पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी कोने से लम्बाई 12 मीटर चौड़ा 3 मी. चौड़ा रास्ता (खसरा सं० 3857 के उत्तरी कोने तक) एवं 3857 के उत्तरी कोने से पूर्वी मेड़ के सहारे 3 मी चौड़ा एवं 20 मी लम्बाई इसके बाद 238 पश्चिमी मकान के भाग से खसरा सं० 238 पश्चिमी मेड़ के सहारे मेड़ की पूरी लम्बाई में 1 1/2 मी चौड़ा खसरा सं० 3857 की पूर्वी मेड़ के सहारे (238 पश्चिमी के मकान के भाग से शेष पूरा मेड़ की लम्बाई में 1 1/2 मी चौड़ा खसरा सं० 3856 की पूर्वी मेड़ के सहारे मेड़ की पूरी लम्बाई में 1 1/2 मी चौड़ा खसरा सं० 3852 की पश्चिमी मेड़ के सहारे खसरा सं० 3851 के उत्तरी कोने तक पूरा लम्बाई में 1 1/2 मी चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर दर्ज रिकॉर्ड करने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही खसरा सं० 3857 में रास्ता से प्रभावित 0.02 हेक्टर (200 वर्ग मी) भूमि</p>	

हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम की
तामीर में जारी हुए

खसरा संख्या 3856 में से रास्ते से प्रभावित
 0.01 हेक्टर भूमि के बदले मुआवजा स्वयं
 डी. खलासी की दर से दुगुनी दर से गणना
 कर मुआवजा राशि खसरा 3857 व 3856
 के रिपोर्ट खालेदारान जो प्रेमचन्द पि० मोहन लाल,
 सुकदेव लाल, कुमार पि० मोहन लाल जालि महामन
 को लया खसरा सं० 2384 में से रास्ते प्रभावित
 0.02 हेक्टर भूमि व खस० 3852 में से रास्ते से
 प्रभावित 0.01 हेक्टर भूमि के बदले मुआवजा
 स्वयं डी. खलासी की दर से दुगुनी दर से
 गणना कर मुआवजा राशि इन खस० के
 रिपोर्ट खालेदार कानू. अमिषकारा पि०
 जीवन्मा कोम बरवा को प्राथिगण तहसीलदार
 से गणना करवा कर तहसीलदार के आदेश
 से मुगलान करे। प्राथिगण अप्राथिगण
 सं० 3 व 4 की खालेदारी भूमि खस० 3853
 3856 3853 की पूर्वी मंड. के सहारे वलमान
 की गयी तारबंदी की रास्ते कायम के खसरा
 खसरा के खर्च से बरबाप अन्यथा तारबंदी
 में होने वाला खर्च अप्राथिगण तीन व चार
 को मुगलान करे। तहसीलदार चौथ का बरवाडा
 को आवे शिल बिया जाता है कि वे न्यायालय
 हाजा के निर्णय अनुसार सारसाप ग्राम
 के उमल (रास्ते से प्रभावित) खस० की
 PLC दर की दुगुनी दर से प्रभावित भूमि
 के मुआवजे की गणना कर उसका मुगलान
 प्राथिगण द्वारा अप्राथिगण को बरवाना
 सुनिश्चित कर ले हुए रिपोर्ट व मोटे पर
 रास्ते कायम बरबाप पत्रावली फसल सुमार
 हो दर्ज नो से करवाये

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा